



बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

सत्र 2018-2021 में स्नातक (ऑनर्स)/पास कोर्स में नामांकन हेतु आपके चुने जाने से सम्बन्धित



18D433319

प्रथम संशोधित सूचना पत्र / (First Revised Intimation Letter)

सेवा में,

आवेदक का नाम : MD ALIM ALI

पिता का नाम	माँ का नाम	जन्म तिथि	लिंग	आरक्षण कोटि	मोबाइल नं०
MAJUDDIN	CHELO KHATOON	23 Feb 2000	Male	General	8298555174
पता : DAMDOLIA CHHOGHRA ABADPUR BARSOI KATI HAR					



01. स्नातक कक्षा में OFSS के माध्यम से नामांकन हेतु केन्द्रीयकृत आवेदन पत्र माँगे गए थे, जिसके पश्चात् दिनांक 15 जुलाई, 2018 को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की गई थी। इसके पश्चात् विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। इस क्रम में नामांकन के क्रम में निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त हुई :-
- कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा पूर्व में कुछ महाविद्यालयों के कुछ संकायों/विषयों में पूर्व में विषय की पढ़ाई होने/सीट की संख्या सूचित की गई थी, किन्तु नामांकन प्रारंभ होने के बाद कुछ महाविद्यालयों के कतिपय संकायों/विषयों में उन सीटों/विषयों को हटा दिये जाने की सूचना समिति को कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा भेजी गई, जिसके कारण ऐसे कुछ महाविद्यालयों में जिन विद्यार्थियों को सीट आवंटित किये गये थे, उनका नामांकन नहीं हो पा रहा था।
 - कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा पूर्व में कुछ कॉलेजों का नाम नामांकन हेतु भेजा गया था, किन्तु सूची जारी होने के पश्चात् कुछ विश्वविद्यालय द्वारा कुछ कॉलेजों का नाम हटाने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके कारण ऐसी स्थिति में उन कॉलेजों में आवंटित विद्यार्थियों को नामांकन में कठिनाई हो रही थी।
 - कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा कुछ महाविद्यालयों में नये संकायों/विषयों होने की सूची दी गयी है, जो सूची जारी होने के पूर्व उनके द्वारा नहीं दिया गया था। अतः ऐसे महाविद्यालयों में इन नये संकायों/विषयों को जोड़ना आवश्यक था, ताकि उसमें विद्यार्थी नामांकन ले सकें।
 - कई विद्यार्थियों द्वारा सूचित किया गया था कि उनके द्वारा आवेदन में भूलवश गलत आरक्षण श्रेणी भर दिया गया है, जिसके कारण उन्हें नामांकन लेने में कठिनाई हो रही है। इसी प्रकार, कुछ विद्यार्थियों ने अनुरोध किया था कि उनके द्वारा जन्म तिथि भरने में त्रुटि हो गयी है, जिससे उन्हें नामांकन में कठिनाई हो रही है, अतः वे इसका सुधार करना चाहते हैं।
 - कुछ विद्यार्थियों द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि वे भूलवश OFSS के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाये हैं। यदि ऐसे छात्रों को आवेदन का मौका नहीं मिल पाता तो उनका नामांकन नहीं हो पाता, अतः ऐसे विद्यार्थियों द्वारा OFSS Portal को ऑनलाइन खोलने तथा नए आवेदन भरने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।
 - कई विद्यार्थियों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया था कि उन्होंने भूलवश विकल्प भरने में कुछ त्रुटि कर दी है, जिसे वे सुधार करना चाहते हैं।
 - कुछ विद्यार्थियों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने विकल्प में परिवर्तन कराना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने पूर्व में विकल्प भरा था, उस समय उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। अतः ऐसे विद्यार्थियों द्वारा अपने विकल्प में परिवर्तन करने के लिए मौका देने हेतु अनुरोध किया गया था।
02. अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में 23 जुलाई, 2018 से नामांकन स्थगित कर दिया गया था तथा ऐसे सभी विद्यार्थियों, जिन्होंने OFSS में पूर्व में आवेदन दिया था, उन्हें अपने आवेदन में उपर्युक्त अंकित किसी भी प्रकार का सुधार कराने हेतु 25 से 30 जुलाई, 2018 तक OFSS Portal में मौका दिया गया था। इसके साथ ही, वैसे विद्यार्थी जो अब तक OFSS Portal में किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिये थे उन्हें भी 25 से 30 जुलाई, 2018 तक OFSS Portal में अपना आवेदन भरने हेतु मौका दिया गया। इस आलोक में निर्धारित अवधि (25 से 30 जुलाई के बीच) में निम्नलिखित संख्या में नये आवेदन/संशोधित आवेदन प्राप्त हुए हैं:-
- 1,16,065 नये आवेदकों ने स्नातक में नामांकन हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरा, जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं दिया था।
 - 1,19,718 आवेदकों ने (जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन फॉर्म भरा था) अपने नामांकन हेतु कॉलेज/संकाय/विषय के चयनपत्र/बीवपबम में परिवर्तन किया।
 - 44,564 आवेदकों ने अपने व्यक्तिगत विवरणी (यथा आरक्षण श्रेणी एवं अन्य विवरणी) में परिवर्तन किया। इस प्रकार आवेदकों की कुल संख्या 04,11,827 से बढ़कर 5,27,892 हो गई है।
03. अतः उपरोक्त कंडिका-1 एवं 2 में अंकित तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा स्नातक नामांकन हेतु **प्रथम संशोधित चयन सूची (First Revised Selection List)** जारी कर दी गई है, जो संबंधित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों को उनके Login ID पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के अलग-अलग महाविद्यालयों के अलग-अलग संकायों के विषयों का Cut Off Percentage (आरक्षण श्रेणीवार) भी समिति के website पर जारी कर दिया गया है, जिसे आवेदक समिति के वेबसाइट ofssbihar.in पर जाकर देख सकते हैं।
04. आपको सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018-21 सत्र के लिए स्नातक ऑनर्स/पास कोर्स में जो आवेदन पत्र जमा किया गया था उसका Reference ID / Barcode संख्या **18D433319** है। आपके द्वारा प्राथमिकता के अनुसार नामांकन हेतु जिन महाविद्यालयों का विकल्प दिया गया था, उनमें से आपके द्वारा भरे गए प्राथमिकता के आधार पर तथा +2/इंटरमीडिएट परीक्षा में आप को प्राप्त कुल अंक प्रतिशत (%) एवं आरक्षण कोटि के आधार पर स्नातक (ऑनर्स/पास कोर्स) में नामांकन हेतु **प्रथम संशोधित चयन सूची (First Revised Selection List)** में आपको निम्नलिखित महाविद्यालय/संकाय/विषय आवंटित किया जाता है :-
- महाविद्यालय का नाम : **B. D College , Barsoi, Katihar**
 - संकाय : **Arts**
 - विषय : **GEOGRAPHY (Hons)**
05. आपको सूचित किया जाता है कि कृपया उक्त आवंटित महाविद्यालय में आप अपना नामांकन दिनांक 10 अगस्त से 16 अगस्त, 2018 के बीच अवश्य करा लें। अगर आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराया जाता है तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। यदि आप इस महाविद्यालय/संकाय/विषय से संतुष्ट नहीं हैं तो **आप 16 अगस्त 2018 से 20 अगस्त 2018 तक उपरोक्त कंडिका -4 में अंकित कॉलेज में नामांकन कराने के बाद आप 17 अगस्त 2018 से 20 अगस्त 2018 तक बेहतर कॉलेज/संकाय/विषय में नामांकन हेतु ऑनलाइन रूप से वेबसाइट www.ofssbihar.in पर Slide Up Option का उपयोग कर सकते हैं या 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच आप नये विकल्प (नया कॉलेज/संकाय/विषय) भी भर सकते हैं**, ताकि आपको दूसरी सूची में बेहतर कॉलेज/संकाय/विषय आवंटित करने हेतु विचार किया जा सके।
06. प्रथम प्रक्रम के पश्चात् दिनांक 25 अगस्त 2018 को द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) प्रकाशित की जायेगी। इसके आधार पर दिनांक 26 अगस्त 2018 से 29 अगस्त 2018 तक सम्बंधित महाविद्यालयों में नामांकन लिया जाएगा।
07. इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप OFSS Portal पर उपलब्ध सभी कॉलेजों के सभी विषयों का कट ऑफ लिस्ट देख सकते हैं।
08. आपको सुझाव दिया जाता है कि आप नया विकल्प (Choice) के रूप में किसी कॉलेज/संकाय/विषय को चुनने/भरने के पहले आप समिति के वेबसाइट ofssbihar.in को खोल कर विभिन्न महाविद्यालयों के अलग-अलग विषयों का प्रथम कट ऑफ सूची (First Cut Off List) अवश्य देख लें, ताकि आपको इस बात की जानकारी मिल जाए कि आपके अंक एवं आरक्षण के आधार पर आपको द्वितीय चयन सूची में किन कॉलेजों/विषयों में Admission मिल सकता है।
09. आपसे अनुरोध है कि आप अपने आवंटित महाविद्यालय/संकाय/विषय में 10 अगस्त से 16 अगस्त 2018 के बीच में अवश्य नामांकन करा लें जिससे कि आप नामांकन के पश्चात् दूसरे चयन सूची के लिए 17 अगस्त से 20 अगस्त 2018 के बीच OFSS Portal पर स्लाइड अप हेतु अथवा विकल्प बदलने हेतु कारवाई कर सकें।

आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ

10. आवेदक / आवेदिका आवंटित महाविद्यालय में नामांकन हेतु निर्गत Reference ID / Barcode युक्त चुने जाने से सम्बन्धित पत्र (Intimation Letter) एवं पूर्व में भरे गए सामान्य आवेदन पत्र (Common Application Form) की प्रति निश्चित रूप से ले जायेंगे।
11. आवेदक / आवेदिका नामांकन कराने के पूर्व आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होकर शुल्क तथा अन्य सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
12. आवेदक / आवेदिका को सम्बन्धित महाविद्यालय में नामांकन के समय जाँच के लिए उन मूल अभिलेखों को प्रस्तुत करना होगा, जो नामांकन के लिए आवश्यक है। जैसे 10 वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, 12वीं बोर्ड परीक्षा का उत्तीर्णता अंक पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र, विद्यालय/ महाविद्यालय परित्याग पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के पाँच रंगीन फोटो, जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जिसकी आवश्यकता आवंटित महाविद्यालय द्वारा मांगी जाय।
13. महाविद्यालय में नामांकन के पश्चात् आवेदक द्वारा जमा किये गये मूल अभिलेखों में से विद्यालय या महाविद्यालय द्वारा निर्गत परित्याग प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा प्रवजन (Migration) प्रमाण पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा रख लिया जाएगा।
14. नामांकन के समय अगर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा नामांकन हेतु कुछ अन्य अभिलेखों की माँग की जाती है, तो नामांकन के पूर्व जाकर संबंधित महाविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर लें तथा उन अभिलेखों को महाविद्यालय को उपलब्ध करवायें।
15. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिए उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय से सम्पर्क करना चाहिये और नामांकन की प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी को प्राप्त कर लेना चाहिये। अगर चयनित आवेदक नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका नाम OFSS System से हटा दिया जायेगा और वर्तमान सत्र में आगे जो द्वितीय या तृतीय चयन सूची जारी की जायेगी उसमें भी उनका नाम नहीं रहेगा।
16. अतः आपको सूचित किया जाता है कि जिस महाविद्यालय में नामांकन के लिए आपका नाम आ चुका है, तो आप उस महाविद्यालय में सर्वप्रथम नामांकन करा लें। ऐसा होने पर आप द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची जारी होने पर उस महाविद्यालय में भी नामांकन ले सकेंगे जिसके लिये आपने नामांकन हेतु उच्च प्राथमिकता दी है। अगर निचली प्राथमिकता वाले विकल्प के लिए चयनित है तो उसे उस महाविद्यालय में नामांकन अवश्य करा लेना चाहिये ताकि स्लाइड अप का उपयोग किया जा सके और, उसके आधार पर आपका बेहतर कॉलेज/संकाय/विषय में नामांकन हेतु विचार किया जा सके। अगर इस महाविद्यालय में चयनित होने पर नामांकन नहीं लेते हैं तो स्लाइडिंग अप के जरिये आपके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा।
ध्यान रखा जाय कि स्लाइड अप विकल्प चुनने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक को उस महाविद्यालय में नामांकन लेना होगा जिस महाविद्यालय में नामांकन के लिये उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया है।
17. अगर आवेदक द्वारा सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) में भरी गयी आरक्षण श्रेणी अथवा विभिन्न विषयों के अंक (बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड के लिए) सूचना सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा गलत पायी जाती है, तो उस स्थिति में उनका Intimation Letter रद्द समझा जाएगा।

नोटः

- i. संबंधित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि सूचना पत्र (Intimation Letter) पर अंकित बारकोड नम्बर का मिलान समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची से अवश्य कर लें।
- ii. किसी तरह की जानकारी हेतु कृपया सम्बन्धित आवंटित महाविद्यालय अथवा OFSS हेल्पडेस्क नम्बर 0612 2230009 पर सम्पर्क करें।
- iii. यह एक कम्प्यूटर जनित पत्र है, अतः इस पर किसी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

Intimation Letter Downloaded On 14-Aug-2018 06:03 PM